ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-12* January- 2018
Innovation The Research Concept

मानवाधिकारों की भूमिका पर शोध अध्ययन

एल0सी0 अनुरागी
विभागाध्यक्ष,
राजनीति विज्ञान विभाग,
वीरभूमि रा0स्ना0 महाविद्यालय,
महोबा

सारांश

भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम की प्रतीक है और भारतीय संविधान भी विश्वशान्ति की बात करता है। संविधान के अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिए प्रयत्न करेगा ताकि मानवाधिकारों का हनन न हो। 10 दिसम्बर 1948 को अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है ताकि मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बनी रहे, इसके बावजूद मानवाधिकारों का खुल्लम–खुल्ला उल्लंघन हो रहा है। आज बच्चे–बच्चियां, महिलाएं अपने घर आँगन में तक सुरक्षित नहीं हैं। राजधानी दिल्ली में भी महिलाएं यौन शोषण की शिकार हो रही हैं, उनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। दिल्ली में वर्ष 2013 में 1636 बलात्कार हुए, 2014 में 2085 बलात्कार व 2015 में 2095 बलात्कार हुए। जागरूकता के अभाव में पीड़ित महिलाएं आर्थिक मदद तक नहीं ले पातीं। जबकि सरकार ने महिलाओं के उत्पीड़न पर विभिन्न धाराओं में आर्थिक सहायता देने की बात कही है। आई0पी0सी0 की धारा 326 में पांच से दस लाख रूपए मिलते हैं। धारा 304 ख में तीन लाख, धारा 376 क में दस लाख, धारा 376 ग में तीन लाख, धारा 376 घ में सात लाख, धारा 4–6 तीन लाख, धारा 14 एक लाख, धारा 302 में दस लाख मिलते हैं। मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु यू0एन0ओ0 द्वारा पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बावजूद विश्व में आस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, थाईलैण्ड, अफगानिस्तान, कांगो, अफ्रीका, कोलम्बिया, इजिप्ट व मेक्सिको आदि देशों में महिलाओं के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। विश्व में नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम लागू करके मानवाधिकारों के हनन को रोका जा सकता है।

मुख्य शब्द : संस्कृति, अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार

प्रस्तावना

भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम की प्रतीक है। यह जियो और जीने दो पर विश्वास करती है। यह सम्पूर्ण विश्व के नागरिकों को एक परिवार के सदस्य के रूप में मानती है ताकि किसी भी व्यक्ति की स्वतन्त्रता व मानवाधिकार का हनन न हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिए, राज्यों के मध्य सम्मानपूर्ण सम्बन्धों तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटानें के लिए प्रयत्नशील होगा ताकि मानवाधिकारों का हनन न हो। वास्तव में, मानवाधिकारों की भावना का मुख्य तत्व विश्व बन्धुत्व की भावना पर आधारित है। मानवाधिकारों के अभाव में व्यक्तित्व का विकास सम्भव नही है। वास्तविकता तो यह है कि मानवीय अधिकार प्राकृतिक अधिकार (Natural Rights) हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रयास रहता है कि विश्व के सभी नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा हो, उनका उल्लंघन न हो। मानवाधिकरों की भावना का विकास धीरे–धीरे हुआ है। सर्वप्रथम ब्रिटेन में 1215 में मैग्नाकार्टा (Magnacarta) अर्थात् 'महान् घोषणा पत्र' प्रकाशित हआ जिसमें कहा गया कि किसी नागरिक को उस समय तक बन्दी न बनाया जाये और न ही निर्वासित किया जाये, जब तक उसका अपराध सिद्ध न हो जाये। इसके बाद ब्रिटेन में ही 1679 में बन्दी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम (Habeas corpus Act) पारित किया गया। जिसमें व्यवस्था की गयी कि बिना अभियोग चलाये किसी भी व्यक्ति को नजरबन्द नहीं रखा जा सकता। ब्रिटेन में 1689 में अधिकार–पत्र (Bill of Rights) पारित कराया जिसमें यह व्यवस्था थी कि संसद में जनता के प्रतिनिधियों को भाषण देने की स्वतन्त्रता होगी। संयुक्त राज्य अमरीका ने 4 जुलाई 1776 को स्वतन्त्रता की घोषणा करते हुए कहा कि सभी मनुष्य जन्म से समान हैं, सभी मनुष्यों को ईश्वर ने कुछ ऐसे अधिकार प्रदान किए हैं जिन्हें छीना नहीं जा सकता और इन अधिकरों में जीवन, स्वतन्त्रता तथा अपनी समृद्धि के लिये प्रयत्नशील रहने के

अधिकार भी सम्मिलित हैं। इसके अलावा 1789 की फ्राँसीसी क्रान्ति में बोरबन वंश के शासक लुई 16 वें और उसकी साम्राज्ञी को कत्ल करके गणतन्त्र की स्थापना करते हुए स्वतन्त्रता, समानता तथा भ्रातत्व की घोषणा की गई। मानवाधिकारों की रक्षा हेतु विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों बर्लिन कांग्रेस, ब्रुसेल्स सम्मेलन, हेग सम्मेलन (1899 तथा 1907) में सामूहिक रूप से तथा राष्ट्र संघ ने मानवाधिकरों पर अत्यधिक बल दिया। 1929 में अन्तर्राष्ट्रीय विधि संस्थान ने अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकरों को घोषित किया। द्वितीय विश्वयुद्ध के नर–संहार ने विश्व के नेताओं को यह सोचने के लिए बाध्य कर दिया कि मानवता के मूलभूत अधिकरों की रक्षा के लिए सुदृढ़ विधि अवश्य होनी चाहिए। इस विचारधारा को अटलाण्टिक चार्टर 1941 तथा संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा 1942 से बल मिला। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में मूलभूत मानवीय अधिकारों में मानव के गौरव तथा मूल्यों में, स्त्री तथा पुरूषों के समान अधिकारों में इन मानव अधिकरों को पुनः स्वीकारा गया। इस प्रकार मानव अधिकार राष्ट्रीय विधि की विषय वस्तु न होकर अन्तर्राष्ट्रीय विधि की विषय वस्तु हो गये। मानवाधिकारों के लिए नियुक्त संयुक्त राष्ट्र संघ आयोग द्वारा, मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा का मसविदा तैयार किया गया, जिसे कुछ संशोधनों के साथ 10 दिसम्बर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने सर्व सम्मति से पारित कर दिया। मानवाधिकार घोषणा पत्र में प्रस्तावना सहित 30 अनुच्छेद हैं। इस घोषणा पत्र में नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, काम का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, ट्रेड–यूनियनों, विश्राम, शिक्षा तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, सामाजिक भरण–पोषण का अधिकार, जीवन का अधिकार, विचार, धर्म, शाँतिपूर्ण सभाएं करने तथा संगठन बनाने जैसे अधिकार सम्मिलित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार और आधारभूत स्वतन्त्राओं के रक्षण और पोषण के लिए अनेक अन्तर्राष्ट्रीय प्रलेख पारित किये, जिनमें international convention on prevention and punishment of the crime of genocide 1948, supplementary convention on the abolition of slavery, the slave trade and institutes and practices 1956, convention against discrimination in education and the international convention on the elimination of all forms of racial discrimination 1965. यद्यपि मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा 1948 में की गयी थी परन्तु संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1968 में अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष घोषित किया। इस अवसर पर तेहरान में मानवाधिकारों पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। 1993 में वियना में एक विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने समस्त विश्व में मानवाधिकरों को बढ़ावा देने और उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये। वियना घोषणा और कार्यवाही कार्यक्रम के प्रति 171 देशों ने अपनी सहमति व्यक्त की तथा दिसम्बर 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में इसका अनुमोदन कर दिया। वियना घोषणा और कार्यवाही कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर होने वाले मानवाधिकरों, विशेषकर जनसंहार, जातीय विद्वेष और बलात्कार, आत्म–निर्णय, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की पर्यावरण समबन्धी जरूरतों, जोखिम में रह रहे लोगों, विशेष रूप से अप्रवासी श्रमिकों, विकलांग व्यक्तियों, शरणार्थियों के साथ महिलाओं और बालिकाओं के मानवाधिकारों पर बल दिया गया। मानवाधिकारों को सुचारू रूप से अनुपालन कराने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने दिसम्बर 1993 में मानवाधिकारों के लिए एक संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के पद का गठन किया। प्रथम उच्चायुक्त की नियुक्ति फरवरी 1994 में की गयी। उच्चायुक्त को मानवाधिकारों सम्बन्धी गतिविधियों पर नजर रखने के साथ महासचिव द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्य करना होता है। उच्चायुक्त द्वारा मानवाधिकारों के क्रियान्वयन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। मानवाधिकार केन्द्र जेनेवा में स्थित है। इसमें उप महासचिव का कार्यालय और 5 शाखाओं के अलावा मानवाधिकारों से सम्बन्धित उच्चायुक्त का कार्यालय है। मानवाधिकार केन्द्र की देखभाल का दायित्व उच्चायुक्त का है। इस केन्द्र की संचार शाखा मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में मिली सूचनाओं के आधार पर जांच दल नियुक्त करती है। एक अन्य शाखा अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों और सम्मेलनों की मानवाधिकारों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में देख–रेख करती है। कानूनी और भेदभाव निवारण शाखा का कार्य अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रलेख और अध्ययन रिपोर्ट तैयार करती है। तकनीकी और सलाहकार सेवा शाखा तकनीकी सहायता देती है। इस केन्द्र के ग्वाटेमाला, कम्बोडिया, बुरूंडी, क्रोएशिया, रूआंडा और मलावी में क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

भारत में मानवाधिकार

मनवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की व्यवस्था की गयी है। भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण एवं समृद्धि के लिए अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गयी। अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य सरकार आयोग का गठन करेगा, परन्तु राज्य मानवाधिकार आयोगों की जांच अधिकारिता संविधान की सातवीं अनुसूची लिस्ट द्वितीय एवं तृतीय में वर्णित विषयों तक ही सीमित रखी गयी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण, 1993 की धारा 38 के अनुसार मानव अधिकार के उल्लंघन से उत्पन्न मामलों का शीघ्र निपटारा करने के लिए, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह से प्रत्येक जनपद के सेशन 'न्यायालय' को 'मानवाधिकार न्यायालय' के रूप में कार्य करने का आदेश दे सकती है। अधिनियम की धारा 31 के अनुसार, प्रत्येक मानवाधिकार न्यायालय के लिए, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उस न्यायालय में मामले को संचालित करने के लिए एक विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में किसी एक 'लोक अभियोजक' को विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को नियुक्त करेगी जो अधिवक्ता के रूप में कम से कम सात वर्षों से प्रैक्टिस में रहा हो। इसके अलावा भारत सरकार ने स्त्रियों पर हो रहे अत्याचार रोकने के लिए 'राष्ट्रीय आयोग स्त्री अधिनियम, 1990' की संरचना की। इस अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत स्त्रियों के लिए अलग से आयोग का गठन किया गया। अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों की रक्षा हेतु भारतीय संसद ने 'अल्पसंख्यक

संरक्षण आयोग, 1992', पारित किया। अधिनियम की धारा 9 में आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है। भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण का विशेष ध्यान दिया गया है। जब भारत का संविधान निर्मित हो रहा था, तब 10 दिसम्बर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकार घोषणा पत्र स्वीकार किया था। भारतीय संविधान निर्माताओं ने उसकी कुछ भावनाओं को अपने मौलिक अधिकार वाले भाग तीन में सम्मिलित किया और कुछ को राज्य के नीति–निदेशक सिद्धान्तों वाले भाग चार में सम्मिलित किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 में यह स्पष्ट कहा गया है कि भाग चार के नीति निदेशक सिद्धान्तों को किसी न्यायालय से लागू कराने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा, परन्तु राज्य का यह कर्तव्य होगा कि कानून बनाते समय इनका ध्यान रखें। यदि हम भारतीय संविधान के भाग तीन एवं भाग चार के प्रावधानों को मानवाधिकार घोषणा पत्र के प्रावधानों से तुलना करें तो पायेंगे कि घोषणा पत्र के 23 भाग पूर्णतः संविधान में हैं। अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के अनुसार क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय इन अधिकारों को संविधान लागू होने से ही लागू करा रहे हैं। यही कारण है कि एमनेस्टी इण्टरनेशनल ने अपनी जुलाई, 1955 को लन्दन में जारी वार्षिक रिपोर्ट में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की प्रशंसा की है। वास्तव में मानवाधिकार हमारे जीवन का चहुमुखी विकास करते हैं, क्योंकि मानवाधिकार आयोग का कार्य केवल मानवाधिकारों का संरक्षण करना ही नहीं है अपितु मानवाधिकारों के प्रति जनसाधारण में चेतना जाग्रत करना तथा इस क्षेत्र में कार्यरत समस्याओं को प्रोत्साहित करना भी है। मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें मिलने पर आयोग उनकी जांच करता है और प्रभावी कार्यवाही करता है। मानवाधिकारों के उल्लंघन सम्बन्धी किसी शिकायत में जांच के दौरान आयोग अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, किसी प्राधिकार तथा संगठन से सूचना या रिपोर्ट मांग सकता है। यदि इनके द्वारा विनिर्दिष्ट समय में सूचना या रिपोर्ट नहीं दी जाती है तो आयोग उस पर आगे कार्यवाही करने के लिए अग्रसर होगा। जब आयोग द्वारा किसी परिवाद या शिकायत में जांच पूरी हो जाती है, तब धारा 18 के अन्तर्गत आयोग आवश्यक कार्यवाही करता है। जहां जांच मानवाधिकारों के उल्लंघन के निवारण में उपेक्षा को प्रकट करती है, तो यह सरकार या प्राधिकारों को अभियोजन की कार्यवाही या ऐसी अन्य कार्यवाही प्रारम्भ करने की सिफारिश करेगा जिसे आयोग सम्बन्धित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध उचित समझेगा। उच्चतम न्यायालय या सम्बन्धिसत उच्च न्यायालय में ऐसे निर्देश, आदेश या याचिका के लिए जायेगा जो वह न्यायालय उचित समझेगा। पीड़ित या उसके परिवार के सदस्य को ऐसी तुरन्त राहत, जिसे आयोग आवश्यक समझेगा, प्रदान करने हेतु सम्बन्धित सरकार या प्राधिकारी से सिफारिश करेगा, इस प्रकार आयोग मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु प्रयास करता है और पीड़ितों की रक्षा करता है।

मानवाधिकारों का हनन

मानवाधिकारों का हनन, समूची मानवता पर कलंक है। आज दुनिया में बच्चे, बच्चियों, महिलाओं यहां तक कि मानवाधिकारों की रक्षक पुलिस तक के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, कहीं–कहीं तो पुलिस भी मासूम बच्चियों से दुराचार कर उनके मानवाधिकारों का हनन कर रही है। डाक्टर भगवान का रूप होते हैं परन्तु कुछ डाक्टर रोगियों से कसाई जैसा व्यवहार कर, डेंगू जैसे बुखार के इलाज के नाम पर लाखों रूपये का बिल बनाकर रोगियों के मानवाधिकारों का हनन कर रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त के कासूर में जनवरी 2018 के प्रथम सप्ताह में एक आठ वर्षीय बच्ची अपने घर के पास ट्यूशन पढ़ने गई थी। इसी दौरान उसको अगवा कर लिया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया और जान से मार दिया गया जिसका शव कूड़े के ढेर में मिला। इसका विरोध पाकिस्तान की समा न्यूज चेनल की एंकर किरण नाज ने लाइव शो में अपनी छोटी बच्ची को गोद में बैठाकर खबरें पढ़ीं। वह बताना चाहती थी कि कोई भी अकेली बच्ची पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान के समाचार पत्र डॉन के अनुसार 2017 में शहर के दो किलोमीटर के दायरे में इस तरह की 12 घटनाएं घट चुकीं हैं। इस्लामाबाद से 400 कि0 मी0 दूर स्थित कासूर 2015 में तब अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आया जब बच्चों के साथ यौन हिंसा करने वाला एक समूह पकड़ा गया। यह बच्चों को अगवा कर यौन शोषण करता था। बुन्देलखण्ड के थाना कोतवाली कर्वी लौढिया गांव की नाबालिग बच्ची का शौच क्रिया के दौरान 16 अक्टूबर 2017 को राममूरत आरव निवासी गोसाईपुरवा थाना राजापुर, शकुन्तला पत्नी चन्द्रपाल निवासी खमरखा थाना कामसिन जिला बांदा ने अपहरण किया जिसकी रिपोर्ट थाना पुलिस के द्वारा दर्ज न किये जाने पर पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के माध्यम से थाना कोतवाली कर्वी में मुकदमा अ0सं0 1023/2017 धारा 363, 366, भा0 द0 संहिता व 8 पास्को अधि0 के तहत पंजीकृत कराई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रकूट ने आदेश दिया कि नाबालिग लड़की को उसके माता–पिता के नैसर्गिक संरक्षण में भेजा जाये परन्तु मुकदमें का विवेचक एसआई छेदीलाल ने तीन माह तक बच्ची से दुराचार किया उसने बच्ची को उसके माता–पिता को सुपुर्द नहीं किया, इससे पीड़ित पक्ष मुख्यमंत्री के दरबार में गुहार लगाने के लिये रवाना हो गए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाकर बेटियों की सुरक्षा का प्रयास किया परन्तु उनके ही लोकसभा क्षेत्र बनारस में स्थित काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में छात्राएं सुरक्षित नहीं हैं। विश्वविद्यालय की फाइन आर्ट्स प्रथम वर्ष की छात्रा के साथ दुर्व्यवाह किया, उसके कुर्ते के अन्दर आरोपियों ने हाथ डालने की कोशिश की, जब उनकी शिकायत की गई, बी0एच0यू0 में छेड़खानी के खिलाफ छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया, तो पुलिस ने छात्राओं पर लाठी चार्ज किया, इसकी चहुंओर निन्दा हुई। विश्व के कई देशों में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, उनके मानवाधिकारों का खुल्लम खुल्ला हनन हो रहा है। आस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड, अफगानिस्तान, कांगो, अफ्रीका,

कोलंबिया, इजिप्ट व मेक्सिको आदि देशों में महिलाओं के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है।

फोर्बस ने महिलाओं के लिए असुरक्षित देशों की लिस्ट जारी की थी जिसमें अफगानिस्तान को महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में सबसे ऊपर रखा गया। यहां निरक्षर महिलाओं की जबरन शादी की जाती है। 54 फीसदी महिलाओं की शादी 15 से 19 वर्ष की उर्म में ही हो जाती है। इसके अलावा भारी संख्या में महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार भी होती हैं। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा आम बात मानी जाती है। अमेरिकन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक कांगो में हर दिन करीब 1150 महिलाएं सेक्शुअल हैरेसमेंट से गुजरती हैं। भारत में महिलाएं गैंगरेप से लेकर बाल विवाह और मानव तस्कारी तक का शिकार होती हैं। यहां होने वाली कई रिसर्च पर विश्वास करें तो इन अपराधों के अलावा पिछले 30 सालों में यहां करीब 50 लाख कन्या भ्रूण हत्या हो चुकी हैं। अफ्रीका के सोमालिया में 4 से 11 साल की उम्र में ज्यादातर बच्चियों का खतना कर दिया जाता है। इसके अलावा सोमालिया में महिलाएं सेक्शुअल अब्यूज और बाल विवाह का भी शिकार होती हैं।

सन् 2010 में कोलम्बिया में महिलाओं के साथ सबसे अधिक अत्याचार हुए हैं। यहां महिलाओं के साथ रेप व ऐसिड अटैक आम बात है, अपराधी खुलेआम घूमते हैं, इससे महिलाएं भयभीत रहती हैं। इजिप्ट में भी महिलाओं के साथ अत्याचार, दुराचार किए जाते हैं और खेद का विषय यह है कि किसी भी अपराध की सजा आखिर में महिलाओं को ही भुगतनी पड़ती है। मेक्सिको में भी कानून व्यवस्था घरेलू और सेक्शुअल हिंसा की शिकार महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं होती, यहां पर अधिकांश महिलाएं अपने खिलाफ हुए जुर्म पर आवाज नहीं उठा पातीं। आज महिलाओं पर अत्याचार, हिंसक घटनाएं आम बात होती जा रही है। दिसम्बर 2017 में एक 24 वर्षीय महिला संध्यारानी के ऊपर एक 28 वर्षीय युवक ने मिट्टी का तेल डालकर, सिंकदराबाद के लालगुडा इलाके में जिंदा जला दिया। महिला 60 प्रतिशत जल जाने के कारण इलाज के दौरान बच नहीं सकी। करांची पाकिस्तान के सिंध प्रान्त में दिसम्बर 2017 में कुछ बंदूकधारी थार गांव के हीरो मेघवार के घर में घुसे और उसकी 14 वर्षीय पुत्री को अगवा कर ले गए और नसीर लुन्जो नाम के व्यक्ति के साथ उसका विवाह करा दिया और जबरन उसका धर्मान्तरण करा दिया। दिल्ली के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के प्रमुख वीरेन्द्र देव दीक्षित धर्म के नाम पर सुनियोजित ढंग से सेक्स रैकेट चलाते आ रहे हैं अभी दिसम्बर 2017 में सी0बी0आई0 ने 41 लड़कियों को दिल्ली के आश्रम से मुक्त कराया, इन्हें वीरेन्द्र देव दीक्षित जबरन बन्दी बनाये था और उनके साथ अत्याचार करता था। दिल्ली में आश्रम की आठ और शाखाओं का पता चला है। यहां ज्यादातर गरीब और अशिक्षित महिलाओं को आस्था के नाम पर बरगलाया गया, फिर एकाधिक पुलिसवालों की बेटियों और अमेरिका से पी0एच0डी0 कर लौटी एक लड़की तक का इस आश्रम में फंस जाना धर्म से जुड़ी हमारी अधकचरी सोच का ही नतीजा है, जिसका गलत फायदा राम रहीम और वीरेन्द्र देव जैसे लोग उठाते हैं। म0प्र0 के ग्राम खेड़ी में एक आदिवासी महिला के कंधे पर उसके पति को बैठाकर पूरे गांव में घुमाया गया। उस महिला का दोष यह था कि वह अपने 4 बच्चों को छोड़कर 28 अक्टूबर 2017 को किसी गैर आदिवासी पुरूष के साथ घर छोड़कर भाग गई थी। तब उस महिला ने 4 नवम्बर 2017 को पिटोल चौकी पर रिपोर्ट लिखाई। बरेली में एक दहेज लोभी ने अपनी पत्नी को मुर्गा बनाया, उसकी पीठ पर दस ईंटें रखीं। इससे भी मन नहीं भरा तो दर्द से कराह रही पीड़िता के दोनों हाथ शाश और ननद ने चारपाई के पाये से दबाये और उस पर बैठ गईं। आरोप यह भी है कि जेठ ने शारीरिक शोषण किया। जब पीड़िता ने एस0पी0 से शिकायत की, तब पुलिस भी सुनकर दंग रह गईं। दक्षिण कोलकाता के रानी कोठी स्थित प्रतिष्ठित निजी स्कूल जीडी बिरला सेंटर फॉर ऐजुकेशन के दो पीटी शिक्षक अभिषेक राय व मोहम्मद मफिजुद्दीन ने चार साल की छात्रा को शौचालय में ले जाकर यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने आरोपी दोनों शिक्षकों के खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और दोषियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्यवाही शुरू कर दी है। हिसार, उकलाना में कबाड़ बीनकर गुजारा करने वाली गरीब परिवार की छह साल की बेटी की दरिंदे ने रेप के बाद हत्या कर दी। दरिंदे ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए बच्ची के नाजुक अंगों पर प्रहार भी किया। खेद है कि यह घटना 10 दिसम्बर अन्तर्राष्ट्रीय मानव दिवस पर ही समाचारों में प्रकाशित हुई। बुन्देलखण्ड महोबा के कबरई थाना क्षेत्र के मोचीपुरा लोड़ा पहाड़ निवासी छह वर्षीय दलित मासूम के साथ भूरा पुत्र नत्थू वाल्मीकि निवासी विशाल नगर कबरई ने खेत में ले जाकर बरदानी नाम के बच्चे के साथ कुकर्म किया, जब बच्चा चिल्लाया, तो उसकी मां ने ललकारा जब कुकर्मी वहां से भाग गया। इस मामले में कबरई थाने में आरोपी के विरुद्ध धारा 377 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 एवं 5 एम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पटियाला स्थित मूकबधिर बच्चों के एक स्कूल में छह साल के बच्चे को नवजीवनी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजूकेशन एन्ड रिसर्च सेंटर के अधीन चल रहे स्पेशल एजूकेशन स्कूल में कक्षा में बच्चे को कुर्सी से बंधा पाया गया। उस दिन अध्यापक हड़ताल पर थे, प्रिंसपल शशिबाला ने सीसी टीवी कैमरे में कैद अपराधी का खुलासा करने का वायदा किया। गरीब आदमी हर जगह मानवाधिकारों के हनन का शिकार हो रहा है। त्रिपुरा में एक आदिवासी करनय नाम के व्यक्ति के परिवार में छह सदस्य हैं। केन्द्र और राज्य सरकार को किसी योजना का फायदा नहीं मिलने की वजह से जंगल की लकड़ी बेचकर ही इनकी रोजी चलती है। गरीबी के कारण इस परिवार ने अपनी आठ महीने की बेटी को मात्र दो सौ रूपए में बेच दिया। सन् 2017 में त्रिपुरा राज्य की ऐसी यह तीसरी घटना है। परन्तु यह संतोष का विषय है कि पुलिस इस मामले का स्वतः संज्ञान लेकर उस व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश में है जिसने करनय की पुत्री को खरीदा है।

नवम्बर 2017 के प्रथम सप्ताह में ईट–भट्टे पर काम करने वाली एक 16 वर्षीय नाबालिग बेटी जो पास की टंकी से पानी भर रही थी, वहीं पर मथुरा का बचगांव निवासी सिपाही जितेन्द्र सिंह ड्यूटी पर था, वह बच्ची का मुंह दबाकर कुछ दूरी पर ले गया और उसके साथ रेप किया। एसएसपी वैभव कृष्ण ने मौका मुआयना कर सिपाही को निलंबित कर दिया और अदालत ने आरोपी सिपाही को जेल भेज दिया। कानपुर के बर्रा इलाके में स्थित न्यू जागृति नर्सिंग होम में 16 जून को 17 वर्षीय एक लड़की को विवाह समारोह में डांस करते समय बेहोश होकर गिर जाने के बाद भर्ती कराया गया था। रात में लड़की को आईसीयू में रखा गया परन्तु वहां वार्डब्वाय यूसुफ ने लड़की को नशीला इंजेक्शन देकर उसके साथ रेप किया। जब सुबह लड़की के माता–पिता को यह घटना मालुम हुई, तो उन्होंने विरोध किया जनता ने अस्पताल कर्मचारियों का विरोध किया, हंगामा समाप्त करने के लिए फजलगंज थाने के बुजुर्ग उप निरीक्षक लाखन सिंह आये परन्तु वे भीड़ के हत्थे चढ़ गए। जनता ने उन्हें लात, घूंसों, ईटों–पत्थरों से पीटा। इस तरह मानवाधिकारों की रक्षक पुलिस तक मानवाधिकारों के हनन की शिकार हो रही है। सरकार और बाबा राघव दास मेडिकल कालेज की प्रशासनिक उदासीनता के कारण पूर्वांचल के सबसे बड़े अस्पताल में 48 घंटों तक 60 से अधिक मासूम बच्चों का तांडव होता रहा, क्योंकि 9 अगस्त की आधी रात को अचानक आक्सीजन की सप्लाई ठप हो गयी और मासूम काल के गाल में समाते चले गए। ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कम्पनी की सप्लाई का 72 लाख रूपए का भुगतान नहीं किया गया था। कम्पनी ने ऑक्सीजन सप्लाई बन्द होने की लिखित सूचना नोडल अधिकारी प्रमुख बालरोग और प्रिन्सिपल को दे दी गई थी फिर भी लापरवाही की गई। आज पढ़ी–लिखी लड़कियां अपनी ही जूनियर कक्षा की लड़कियों की रेगिंग लेकर उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। बिहार के दरभंगा मेडीकल कालेज अस्पताल (डीएमसीएच) में प्रथम वर्ष की एक छात्रा के साथ 61 लड़कियों ने रेगिंग की, इस प्रकार आरोप में उनहें 25–25 हजार रूपए जुर्माना किया गया है। समय रहते छात्राओं को रेगिंग बन्द कर देना चाहिए।

नवम्बर 2017 के प्रथम सप्ताह में नैपाल की दो महिला तस्कर नाबालिग 8 लड़कियों को उन्नाव (उ0प्र0) की मीट फैक्ट्री में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ले जा रही थीं, जिसमें छह लड़कियां 13 से 14 वर्ष की थीं। एसएसबी खखरौला (लखीमपुर) चौकी के जवानों ने जांच के बाद बरामद लड़कियों सहित दोनों महिला तस्करों को नैपाल पुलिस व वहां के एनजीओ को सुपुर्द कर दिया। नैपाल के दांग, बर्दिया, सूरखेत, सल्ययान, चीसापानी आदि इलाकों से 14 युवतियों को सऊदी अरब व अन्य देशों में बढ़िया नौकरी दिलाने तथा शादी कराने का झांसा देकर उन्हें भारत के रास्ते ले जाया जा रहा था, नैपाल पुलिस ने 12 मानव तस्करों को पकड़ा और 14 युवतियों को मुक्त कराया, यह घटना 15 दिसम्बर 2017 की थी। नई दिल्ली के निजामुद्दीन वेस्ट के निवासी वकील महमूद प्राचा ने राष्ट्रीय अल्प संख्यक आयोग के अध्यक्ष से शिकायत की थी कि निकाह की आड़ में देश के विभिन्न भागों से मुस्लिम महिलाओं एवं नाबालिग लड़कियों की ओमान, कतर और दूसरे पश्चिमी देशों में तस्करी की जा रही है, जो एक गंभीर मामला है। केन्द्र सरकार ने मुस्लिम लड़कियों की तस्करी पर कार्यवाही के लिए सभी राज्यों से आवश्यक कार्यवाही करने को कहा है। मानवाधिकारों हनन की समस्या ज्वलंत समस्या बनती जा रही है। कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुस्कार विजेता ने अपने अध्ययन में बताया कि भारत में हर एक सेकेण्ड में बच्चों के खिलाफ कोई न कोई अपराध होता है लेकिन सामाजिक बदनामी के डर से ज्यादातर लोग पुलिस में शिकायत नहीं करते। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था वर्ल्ड विजन इंडिया ने भारत में 45,844 बच्चों के बीच एक सर्वेक्षण किया जिसमें खुलासा हुआ कि हर दूसरा बच्चा यौन उत्पीड़न का शिकार हुआ है। हर चार में से एक परिवार ने बच्चों के साथ हुए यौन शोषण की शिकायत तक नहीं की। पीड़ितों में लड़के–लड़कियों की संख्या लगभग बराबर बतायी गयी है। करीब 98 प्रतिशत मामलों में बच्चों के परिचित या सगे सम्बन्धी ही यौन शोषण करने वाले थे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सालाना रिपोर्ट के अनुसार 2016 में महिलाओं के साथ यौन शोषण के 579 मामले दर्ज किए गए। वहीं 2015 में यह 525 थे। इस रिपोर्ट के मुतबिक भारत की टॉप 50 कम्पनियों ने यह माना है कि पिछले एक साल में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण के मामले में 10.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2012 में मानवाधिकारों के हनन में बच्चियां सर्वाधिक शिकार हुईं। देश में हर 30 मिनट में एक बच्चे के साथ यौन दुर्व्यवहार हो रहा है। बच्चों से दुष्कर्म की घटनाओं में बीते पांच वर्ष के भीतर 151 फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। देश में हर 22 मिनट में एक नया यौन हिंसा का मामला सामने आता है। 2016 में बलात्कार के कुल 39,068 मामले सामने आए जिनमें 16,863 केस 18 साल से कम आयु की लड़कियों से दुष्कर्म के थे। 520 मामले ऐसे थे, जिनमें मात्र 6 साल से कम आयु की लड़कियों के साथ हैवानियत की गई। एक तरफ जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, वहीं कमजोर अभियोजन से दोषियों की सजा की दर घट रही है।

सजा की घटती दर, (आँकड़े एन0सी0आर0बी0 2016)

सन्	सजा की घटती दर
2007	29
2010	27.8
2013	22.4
2014	21.3
2015	21.7
2016	18.9

दिल्ली में महिलाओं के प्रति यौन अपराध के मामले, स्रोत दिल्ली पुलिस

वर्ष	बलात्कार	शारीरिक छेड़छाड़	मौखिक छेड़छाड़
2013	1636	3,515	916
2014	2085	4,182	1,282
2015	2095	5,192	1,444

सरकार ने महिलाओं के उत्पीड़न पर कुछ आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की है।

इन धाराओं में मिलती आर्थिक सहायता

आई0पी0सी0 की धारा	रूपये
धारा 326	पांच से दस लाख
धारा 304 ख	तीन लाख
धारा 376 क	दस लाख
धारा 376ग	तीन लाख
धारा 376 घ	सात लाख
धारा 4–6	तीन लाख
धारा 14	एक लाख
धारा 302	दस लाख

मानवाधिकारों के संरक्षण की गम्भीर समस्या है। नैतिक शिक्षा के अभाव में स्कूली बच्चे मानवाधिकारों का हनन कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में एक स्कूली बच्चे ने बैट, कैंची और पिज्जा कटर से हमला कर मां और छोटी बहिन की हत्या कर दी। बच्चे को मां पढ़ाई करने को कहती थी और डांटती थी। छोटी बहिन पढ़ाई में होशियार थी, इसीलिए उसे मां का प्यार मिलता था। बच्चे ने डांटने के कारण ही मां व बहिन की हत्या कर दी। इस घटना से हमें सीख मिलती है कि बच्चों को नैतिक शिक्षा दिलाई जाना चाहिए और माता–पिता को बच्चों की मानसिक स्थिति देखकर व्यवहार करना चाहिए।

मानवाधिकार हनन के कारण

आज व्यक्ति रातों–रात अमीर बनना चाहता है, परिश्रम करना नहीं चाहता। वह अधिक धन की लालसा के कारण अवैध कार्य, भ्रष्टाचार मानव तश्करी करके धन कमाना चाहता है। वह धन को ही सब कुछ समझ रहा है, नैतिक ज्ञान के अभाव में मानवाधिकारों के हनन का मुख्य कारण है।

अध्ययन का उद्देश्य

आज विश्व में चारों ओर हिंसा, अत्याचार, चोरी, डकैती, आतंकी हमले, मानव तश्करी ऐसे गंभीर अपराध हो रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी नैतिक शिक्षा के अभाव में मानव सेवा से दूर होती जा रही है। गरीबों, अपाहिजों, निर्बलों की सेवा से युवा पीढ़ी दूर होती जा रही है। मानवाधिकारों के संरक्षण से सम्पूर्ण मानवजाति की सेवा की जा सकती है। यही शोध का मुख्य उद्देश्य है।

निष्कर्ष

आज महिलाएं घर–आँगन में तक सुरक्षित नहीं हैं। वर्तमान में हरेक तीसरा अपराध घर–परिवार में होता है, छेड़छाड़ दूसरे और अपहरण तीसरे नम्बर पर है। एक शोध के अनुसार 25.0 फीसदी महिलाएं छेड़छाड़ की शिकार होती हैं। 19.0 फीसदी महिलाओं का अपहरण हो जाता है। 11.5 फीसदी बलात्कार की शिकार होती हैं। 2. 9 फीसद दहेज के लिए प्रताड़ित व 2.2 फीसद दहेज के लिए मार दी जाती हैं। मानवाधिकार हनन में कुछ राज्यों /केन्द शासित प्रदेश की हालत बहुत खराब है।

अपराध मामले में सबसे खराब राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश

दिल्ली (केन्द्र शासित) असम	तेलांगना	नगर दिल्ली	जयपुर पटना
ओडिशा	राजस्थान	लखनऊ	नागपुर

(स्रोत एनसीआरबी)

आइए हम सब मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्यानाकार्षण करें, सम्पूर्ण मानव जाति की सेवा करने का व्रत लें। निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि जागरूकता व नैतिक शिक्षा के द्वारा ही मानवाधिकारों के हनन को रोका जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *समकालीन राजनीतिक मुद्दे, शीर्षक – मानवाधिकार, ले0 डॉ0एस0सी0 सिंहल*
2. *अमर उजाला कानपुर 12 जनवरी 2018, पे0 10*
3. *'आज' कानपुर 13 जनवरी 2018, पे0 2*
4. *'आज' कानपुर 25 दिसम्बर 2018, पे0 12*
5. *स्वतन्त्र चेतना कानपुर (आजकल) पे0 12*
6. *अमर उजाला (प्रवाह) कानपुर, 23 दिसम्बर 2017, पे0 8,13*
7. *हिन्दुस्तान (समाचार पत्र) महोबा हमीरपुर संस्करण 08 नवम्बर 2017, पे0 9*
8. *दैनिक जागरण कानपुर 03 जनवरी 2018, पे0 6*
9. *दैनिक जागरण कानपुर 02 दिसम्बर 2017, पे0 17*
10. *राष्ट्रीय सहारा कानपुर 10 दिसम्बर 2017,मुख्यपृष्ठ 1*
11. *राष्ट्रीय सहारा कानपुर 25 नवम्बर 2017*
12. *दैनिक जागरण कानपुर 23 नवम्बर 2017, पे0 11*
13. *अमर उजाला कानपुर दिसम्बर 2017, पे0 15*
14. *अमर उजाला कानपुर 03 नवम्बर 2017, पे011*
15. *राइजिंग पॉलिटिक्स पत्रिका जुलाई 2017, पे0 41*
16. *राइजिंग पॉलिटिक्स पत्रिका सितम्बर 2017, पे0 55*
17. *दैनिक जागरण कानपुर 6 नवम्बर 2017, पे0 8*
18. *अमर उजाला कानपुर 17 दिसम्बर 2017, पे0 24 (देश–विदेश)*
19. *राष्ट्रीय सहारा कानपुर 26 अक्टूबर 2017 मुख्य पृष्ठ*
20. *दैनिक जागरण 28 अक्टूबर 2017, (संगिनी–मुख्य पृष्ठ)*
21. *राष्ट्रीय सहारा कानपुर 14 दिसम्बर 2017, पे0 8*
22. *अमर उजाला (प्रवाह) कानपुर 18 दिसम्बर 2017 (प्रवाह पृष्ठ)*
23. *राष्ट्रीय सहारा कानपुर 11 दिसम्बर 2017, पे0 8*